O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 5552
Date 09 MAR 20
AGM
SE
EE
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री प्रहलाद सिंह, कार्यपालक निदेशक(मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 01/2018 दिनांक 05.02.2018

श्री डी.के.भोजक
अधीक्षण अभियंता–दो
कार्या.–मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय)
छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.क.लिमि., रायपुर

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 07.03.2018 को पारित)

अपीलार्थी श्री डी.के.भोजक की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 01/2018 दिनांक 05.02.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री डी.के.भोजक ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी:–

1. सहायक यंत्री (अनु.जा./अनु.जन.), से कार्यपालन यंत्री पदोन्नति हेतु वर्ष 1999 की नामिका सूची (पेनल) की प्रति एवं वरिष्ठता सूची।
2. सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री पदोन्नति हेतु वर्ष 2000 की नामिका सूची जिसमें मुझे अधिक्रमण करते हुए श्री के.एस.भारती को पदोन्नति दी गई थी की प्रति।

अतएव जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी/दस्तावेज से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील आवेदन इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि समस्त जानकारी एवं दस्तावेज उन्हें प्रदान की जावे।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अं./प्र.क्र.–01/2018/07 दिनांक 20.02.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 21.02.2018** को दोपहर 12.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री भोजक को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया, साथ ही दूरभाष के माध्यम से भी अपीलार्थी को उक्ताशय के तारतम्य में सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए परन्तु अपीलार्थी श्री भोजक द्वारा श्री पंकज सिंह परमार, सहायक जनसूचना अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर अवगत कराया गया कि वे उक्त तिथि को कार्यालय में प्रकरण की सुनवाई में व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ है, अतएव प्रकरण की सुनवाई किसी अन्य कार्यालयीन दिवस में निधारित की जाए। जैसा कि अपीलार्थी उक्त निर्धारित श्रवण तिथि को कारण स्पष्ट कर इस कार्यालय में अनुपस्थित रहे, जिसके फलस्वरूप प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–01/2018/08 दिनांक 06.03.2018 के माध्यम से अपील प्रकरण की सुनवाई पुनः दिनांक 07.03.2018 को दोपहर 12.00 बजे निर्धारित करते हुए दोनो पक्षों को सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को अपीलार्थी उपस्थित हुए, परन्तु प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री मौर्या निःशक्तजन आयोग, नया रायपुर में उपस्थित रहने के कारणवश, अपील सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके, अतएव उनके स्थान पर सहायक जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह परमार, प्रबंधक (मा.सं.) उपस्थित हुए एवं संबंधित प्रभाग के प्राधिकारी श्रीमती नम्रता राठौर, प्रबंधक (मा.सं.)–दो उपस्थित हुए, तत्पश्चात् प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) सुनवाई के दौरान प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 82 दिनांक 09.01.2018 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अपने यू.ओ.नोट क्रमांक 57 दिनांक 18.01.2018 के माध्यम से यह अवगत कराया कि **"बिन्दु क्रमांक 01 में वांछित वर्ष 1999 की पेनल इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्ष 1999 की वरिष्ठता सूची प्रभाग में उपलब्ध नहीं है तथा बिन्दु क्रमांक 02 में वांछित दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।"** तत्पश्चात् निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 185 दिनांक 23.01.2018 के माध्यम से आवेदक को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत करायी गई।

(5) निर्धारित तिथि को उभयपक्ष उपस्थित हुए। जैसा कि अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। प्राकृतिक न्याय का प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्वांत है कि किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का तर्क कि उन्हें वांछित बिन्दुओं की जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा यह उल्लेख कर कि उपरोक्त जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, प्रदान नहीं की गई है, जिससे अपीलार्थी संतुष्ट नहीं है। अतएव प्रथम अपीलीय अधिकारी से निवेदन है कि उपरोक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी उन्हें उपलब्ध करायी जावे।

(iii) कंडिका 5 (ii) के तारतम्य में संबंधित प्रभाग की प्राधिकारी श्रीमती नम्रता राठौर का तर्क कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज पूर्व में इस कार्यालय में उक्त अवधि में उपलब्ध नही होने के कारणवश उन्हे प्रदान नही की जा सकी। ज्ञात्वय हो कि अपीलार्थी द्वारा उन्हे वर्ष 1999 से वरिष्ठता प्रदान किये जाने तथा 25 वर्षीय उच्च वेतनमान में Superssion न माने जाने विषयक एक अभ्यावेदन दिनांक 15.12.2017 दिया गया है जो इस कार्यालय में दिनांक 02.01.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण के निपटारे के दृष्टिगत वर्ष 1999 की सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पदोन्नति पेनल म.प्र.पॉ.मै.कं. जबलपुर, से चाही गई थी, जो इस कार्यालय में दिनांक 24.02.2018 को प्राप्त हुई है। अतः वर्तमान में उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज म.प्र.पॉ.मै.कं. जबलपुर, से 21 पृष्ठों में प्राप्त किये जा चुके हैं, जो आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध करायी जा सकती है।

(iv) जैसा कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी तत्कालीन समय में इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने के फलस्वरूप उन्हें प्रदान नही की जा सकी, अतएव प्रतिअपीलार्थी द्वारा कंडिका 04/टीप में जो कार्यवाही की गई है वह उचित एवं तर्कसंगत परिलक्षित होती है।

इसी अनुक्रम में लेख है कि कंडिका 05 (iii)/टीप के अनुसार म.प्र.पॉ.मै.कं. जबलपुर से प्राप्त 21 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जो अपीलार्थी श्री भोजक को नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने योग्य है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में जो जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, वह उचित एवं कंडिका 5 (iii) में दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं। जहाँ तक दर्ज अपील का प्रश्न है अपीलार्थी वर्तमान समय में वांछित जानकारी/दस्तावेज पाने का हकदार है जो उन्हे नियमानुसार निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान किये जाने के पश्चात् उपलब्ध करायी जा सकती है। अतएव जनसूचना अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी/दस्तावेज तत्काल नियमानुसार सःशुल्क उपलब्ध करावें।

अतएव कंडिका 06/टीप के दृष्टिगत उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 01/2018 दिनांक 05.02.2018) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(प्रहलाद सिंह)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –01/2018/ 11 **रायपुर, दिनांक** 07/03/2018

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री डी.के.भोजक, अधीक्षण अभियंता–दो, कार्या.–मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय), छ.ग.स्टे.पॉ. डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक,
रायपुर, पिन–492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(प्रहलाद सिंह)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700